

दिल्ली, 28 मार्च, 2011

सं. फा. 10 (1708)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./11091.-
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लि., सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003 द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 1,31,85,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,13,767 से 2,45,616 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 13,18,500 (रुपये तेरह लाख अठ्ठारह हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 28th March, 2011

F. No. 10(1708)/COS(HQ)/Cons. Duty/11091 :—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Pawan Hans Helicopters Limited, Safdarjung Airport, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 13,18,500 (Rs. Thirteen Lac Eighteen Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,31,85,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1,13,767 to 2,45,616 to be issued by the said company.

दिल्ली, 30 मार्च, 2011

सं. फा. 10 (1743)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./11151.-
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एमएसडी वेलकम ट्रस्ट हिलमन लेबोरेट्रीज प्रा.लि., डी-15, भू-तल, जंगपुरा, नई दिल्ली-110014 द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 22,81,95,600 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 13,60,571 से 51,63,830 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 2,28,196 (रुपये दो लाख अठ्ठाइस हजार एक सौ छियानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 30th March, 2011

F. No. 10(1743)/COS(HQ)/Cons. Duty/11151 :—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E)

**OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY**

ORDERS

Delhi, the 25th March, 2011

F. No. 10(1723)/COS(HQ)/Cons. Duty/11003.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Finehope Allied Engineering Pvt. Ltd., Plot No. 293, Second Floor, Kehar Singh Estate, Saidula Jab, West End Marg, New Delhi-110030 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,52,000 (Rupees One Lakh Fifty Two Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 15,20,00,000 for preference share certificates with distinctive Nos. 001 to 152,00,000 to be issued by the said company.

dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. MSD Welcome Trust Hilleman Laboratories Pvt. Ltd., D-15, Ground Floor, Jangpura, New Delhi-110014 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,28,196 (Rs. Two Lac Twenty Eight Thousand One Hundred Ninety Six) only on the aggregate value of shares of Rs. 22,81,95,600 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 13,60,571 to 51,63,830 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1729)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./11140.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मैक्स बुपा हेल्थ इन्श्योरेंस कम्पनी लि. मैक्स हाउस, 1 डॉ. झा मार्ग, ओखला, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 51,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 22,00,00,001 से 27,10,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 5,10,000 (रुपये पांच लाख दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1729)/COS(HQ)/Cons. Duty/11140.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Max Bupa Health Insurance Company Limited, Max House, 1 Dr. Jha Marg, Okhla, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5,10,000 (Rs. Five Lac Ten Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 51,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 22,00,00,001 to 27,10,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1710)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./11160.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एएक्सए असिस्टेन्स इण्डिया प्रा.लि., 112, जोर बाग, नई दिल्ली-110003 द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 14,90,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00,01,45,001 से 2,94,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 1,490 (रुपये एक हजार चार सौ नब्बे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1710)/COS(HQ)/Cons. Duty/11160.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. AXA Assistance India Pvt. Ltd., 112, Jor Bagh, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,490 (Rs. One Thousand Four Hundred Ninety) only on the aggregate value of shares of Rs. 14,90,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 00,01,45,001 to 2,94,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1678)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./11159.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री स्टर्लिंग ऑटोमोबाइल्स प्रा.लि., ए-40, मोहन कॉर्पोरेटिव इण्डस्ट्रियल इस्टेट्स, नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 19,35,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,00,001 से 51,93,500 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹1,935 (रुपये एक हजार नौ सौ पैंतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1678)/COS(HQ)/Cons. Duty/11159 :—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sterling Automobiles Pvt. Ltd., A-40, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,935 (Rs. One Thousand Nine Hundred Thirty Five) only on the aggregate value of shares of ₹ 19,35,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 50,00,001 to 51,93,500 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1738)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./11158.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आइएल एण्ड एफएस स्किलस डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., दूसरी मंजिल, नियात भवन, राव तुला राम मार्ग, (आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एण्ड रेफरल के सामने), नई दिल्ली-110057 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों

जिनकी पृथक संख्या 1 से 50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 500 (रुपये पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 10(1738)/COS(HQ)/Cons. Duty/11158 :—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S. O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IL & FS Skills Development Corporation Ltd., 2nd Floor, Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg, (Opp. Army Hospital Research & Referral), New Delhi-110057 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 500 (Rs. Five Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 1 to 50,000 to be issued by the said company.

By Order,
of Chief Controlling Revenue Authority
of National Capital Territory of Delhi,

R. K. MISRA,
Special Inspector General (Registration)